डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2001—कार्तिक 4, शक 1923

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, महासमुन्द

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये.]

महासमुन्द, दिनांक 22 सितम्बर 2001

क्रमांक 1040 क/वाचक-1/2001.—चूंकि विश्वनाथ पुत्र लोकनाथ अग्रवाल निवासी बागबाहरा तहसील महासमुन्द (छ.गढ़) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 29-10-2001 को विचार के लिए लिया जावेगा. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं पंजीयक, लोक न्यास जिला महासमुन्द का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 29-10-2001 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता है.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास की सम्पत्ति—

(अ) देवमाता गायत्री ट्रस्ट ग्राम लालपुर प. ह. नं. 119/66 ऋण पुस्तिका क्रमांक 1551893 में वर्णित (परिवर्तित) - 2563 वर्ग.

(ब) प्रज्ञा-मण्डल जनजागरण समिति बागबाहरा. (परिवर्तित) ऋण पुस्तिका क्रमांक 1808338 में वर्णित. - 420 वर्ग फु.

(स) वर्णित सम्पत्ति नगरपालिका क्षेत्र बागबाहरा में है, - जिसका वर्तमान में मूल्य लगभग 3,00,000 रु. (तीन लाख) है.

2. चल सम्पत्ति—

वाद्य यंत्र, बर्तन, माईकसेट, फर्नीचर, दरी, पंखा, कीमती - रु. 35,000/- (पैंतीस हजार रुपये).

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये].

महासमुन्द, दिनांक 22 सितम्बर 2001

क्रमांक 1041 क/वाचक-1/2001.—चूंकि तुकाराम पुत्र गोकुल पटैल निवासी पिथौरा तहसील महासमुन्द ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 29-10-2001 को विचार के लिए लिया जावेगा. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं पंजीयक, लोक न्यास जिला महासमुन्द का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 29-10-2001 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता है.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास की सम्पत्ति—

1. ग्राम पिथौरा प. ह. नं. 22, रा. नि. मं. पिथौरा, तहसील जिला महासमुंद स्थित भूमि ख. नं. 21040. – क्षेत्रफल 0.138 हे.

2. गायत्री माता का मंदिर पक्का कुंआ. कमरा चौहदी. अनुमानित मूल्य. – रुपये 2,50,000/- एवं मंदिर की अन्य संपत्ति.

3. लोक न्यास का नाम – गायत्री शक्ति पीठ पिथौरा, तहसील महासमुन्द, जिला-महासमुन्द.

(मुख्यालय-श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट शांतिकुंज हरिद्वार उत्तरप्रदेश).

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये].

महासमुन्द, दिनांक 22 सितम्बर 2001

चूंकि श्री नोखेलाल चन्द्राकर राधाकृष्ण मंदिर निवासी बेमचा तहसील महासमुन्द ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 18-5-98 को विचार के लिए लिया जावेगा. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं अमृत खलखो रजिस्ट्रार, महासमुन्द, जिला रायपुर का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 28-5-98 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

राधाकृष्ण मंदिर बेमचा ख. नं. 383, 425, 427, 454, 922, 1097, 1398/3, 1448/2 रकबा क्रमशः 0.993, 0.045, 0.012, 0.040, 0.016, 0.049, 0.212, 0.004 कुल 1.071 हे. कीमती रुपये 1,65,000 रु. मात्र.

अमृत खलखो
पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2001

क्रमांक क/वाचक/अविअ/पंजीयक/2001.—चूंकि श्री राम सहाय मिश्रा आवेदक के द्वारा श्री स्वामी शिवोम तीर्थ कुण्डलिनी सिद्ध महायोग-रायपुरा शीतलावार्ड रायपुरा ट्रस्ट के नाम से पंजीयन हेतु आवेदक ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 के 30) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र दिया है. अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 19-11-2001 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वतः या अपने वकील अथवा एजेन्ट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आरोपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

(1) ट्रस्ट का नाम - श्री स्वामी शिवोम तीर्थ कुण्डलिनी सिद्ध महायोग केन्द्र रायपुरा.

(2) ट्रस्ट की अचल संपत्ति - खसरा नंबर 608/2 रकबा 1500 वर्गफुट ग्राम रायपुरा प.ह.नं. 104 तहसील रायपुर अनुमानित लागत 51,000/-

(3) ट्रस्ट की चल संपत्ति - जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के खाता क्रमांक 11938 में रुपये 58,660.00 जमा होना बतलाया है.

रमेश शर्मा,
पंजीयक.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.